न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

अजरा बानो **बनाम** तुफैल अहमद व अन्य

प्रकीर्ण वाद संख्या-313/2019
मु. अ. नं. 13/2018
धारा-498A भा०दं०सं० व 3/4 D.P. Act.
थाना-चौक, जिला- वाराणसी।

<u>दिनांक 20.09.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। वादिनी मुकदमा अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। उक्त अन्तिम रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में वादिनी मुकदमा को कई नोटिस निर्गत किये गये, किन्तु वादिनी मुकदमा प्रकरण में उपस्थित नहीं हो रही है। धारा-173 दं०प्र०सं० के तहत विवेचक द्वारा भी वादिनी मुकदमा को सूचित करने का प्राविधान है। स्पष्ट है कि वादिनी को अन्तिम रिपोर्ट के बारे में ज्ञात है। प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट इस आशय की गयी है कि "अब तक की तमामी विवेचना बयान वादिनी, निरीक्षण घटना स्थल व मीडिएशन सेन्टर की कार्यवाही सफल हो जाने के फलस्वरूप अभियुक्तगण तुफैल अहमद, शकीला बानो, इशराक अहमद, सुहैल अहमद व अकिल अहमद सर्व निवासीगण सी०के० 41/29 ए हौज कटोरा थाना चौक जनपद वाराणसी के विरुद्ध जुर्म आयत नहीं होता है। अतः जरिये अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। अतः श्रीमा जी से निवेदन है कि अन्तिम रिपोर्ट संख्या- B-20/2018 स्वीकृत करने की कृपा करें। विवेचना समाप्त की जाती है।"

इस संबंध में सी.डी. व समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि समस्त सम्भावित साक्ष्य संकलन के पश्चात् अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। प्रकरण सन् 2018 का है व एफ.आर. दिनांक 17.05.2018 को प्रेषित की गयी है। वादिनी को नोटिस निर्गत किये जाने के पश्चात् भी वह उपस्थित नहीं हो रहा है। स्पष्ट है कि उसे वाद में रूचि नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट स्वीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विवेचक द्वारा मु.अ.सं. 13/2018 अन्तर्गत धारा-498A भा०दं०सं० व 3/4 D.P. Act., थाना-चौक, जिला-वाराणसी में प्रस्तुत अंतिम आख्या स्वीकार की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।